खंड 1 संख्या 131

राष्ट्र महिला

जून 2010

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

बड़ी संख्या में विधवाएं आध्यात्मिक शान्ति तथा भौतिक सुरक्षा की आशा करते हुए काशी, मथुरा और वृन्दावन में मोक्ष की तलाश में आती हैं। परन्तु जब वे इन धार्मिक स्थानों पर पहुंचती हैं तो उनके स्वप्न चूर हो जाते हैं। वहां एक अन्य भाग्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है।

इनमें अधिकतर वे विधवाएं हैं जिन्हें नियमित वित्तीय सहायता दिए जाने का वायदा कर इन धार्मिक स्थानों पर जाकर बसने के लिए राजी कर लिया जाता है। किन्तु कुछ समय बाद ही पैसे की आवाही बंद हो जाती है और उनके संबंधियों के लिए उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वे आर्थिक, सामाजिक एवं भावात्मक समर्थन की मोहताज बन जाती हैं। अपने पतियों की मृत्यु के बाद पतियों के परिवारों द्वारा परित्यक्त ये महिलाएं अपनी व्यवस्था स्वयं करने को मजबूर हो जाती हैं।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग से मथुरा तथा वृन्दावन की इन महिलाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दर्शाती है कि किन दारुण तरीकों से इन महिलाओं का तरह-तरह से शोषण किया जाता है। पश्चिम बंगाल के अपने राज्य में उपेक्षित ये महिलाएं वहां निराश्रयता का जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा बढ़ती हुई संख्या में वृन्दावन और मथुरा आकर गरीबी, उपेक्षा और अपमान का जीवन बिताना पसंद करती हैं।

इन विधवाओं के बारे में एक यह भयंकर तथ्य सामने आया कि आयोग ने जिन 5,000 से अधिक महिलाओं का सर्वेक्षण किया था उनमें से 74% पश्चिम बंगाल की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि "यह कहना ठीक होगा कि देश में विधवाओं की सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल में है और आज के समय में पश्चिम बंगाल से अधिकाधिक संख्या में उनके यहां आने का कारण गरीबी है।" सर्वेक्षण की अन्य महिलाओं में से कुछ छत्तीसगढ़ और उत्तर से भी आयी थीं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश महिलाओं को न तो कोई पेंशन मिलती है और न ही उनके कोई राशन कार्ड हैं और वे भजन गाकर अपना गुजारा करती हैं। भजन गाने के लिए उन्हें 3 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं और उनमें से कुछ मन्दिरों, आश्रमों तथा भजन गृहों की साफ-सफाई का कार्य भी करती हैं। कुछ तो और भी कम भाग्यशाली हैं और सड़कों पर या मन्दिरों के सामने भीख मांगकर अपना गुजारा करती हैं।

रिपोर्ट में आयोग ने अपनी सिफारिशें भी दी हैं। आयोग ने उच्चतम न्यायालय से यह आदेश जारी करने का आग्रह किया है कि इन विधवाओं को रिहायशी सुविधाएं दिलाने के लिए तुरंत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाये क्योंकि अनेक महिलाएं अत्यंत शोचनीय दशाओं में झोंपड़-पट्टियों, टेंटों,

चर्चा में — धार्मिक स्थानों में विधवाएँ

यहां तक कि सीढ़ियों के नीचे अथवा खुले में रातें गुजारती हैं। जो महिलाएं आश्रमों या रिहायशी क्वार्टरों में रहती हैं, उनकी दशा भी कुछ अच्छी नहीं है। एक-एक कमरे में महिलाएं भरी पड़ी हैं और शौचालय तथा पानी का कोई प्रबंध नहीं है, न ही बिजली उपलब्ध है। अधिकांश विधवाएं पढ़ी-लिखी नहीं होने के कारण मंदिरों के अधिकारियों और पुजारियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। उन्हें अपने काम का बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है, यद्यपि मंदिरों को श्रद्धालु बहुत दान देते हैं। इसलिए आयोग ने सिफारिश की है कि न्यायालय राज्य को इन विधवाओं को पेंशन देने, राशन की सुविधाएं मुहैया करने और पानी, बिजली तथा इलाज का प्रबंध करने के निर्देश दे। बहुत सी बेरोजगार या सेवक कार्यों में लग्न विधवाओं को उपयुक्त रोजगार दिलाने के लिए आयोग ने गैर सरकारी संगठनों की सहायता की अपेक्षा की है।

परन्तु इन असहाय महिलाओं की तत्काल आवश्यकता कुछ संस्थाओं में पुर्नवासित किए जाने मात्र की नहीं है, अपितु समाज सेवाओं तथा पारिवारिक प्रकार की देखरेख के माध्यम से उनमें समाज का अंग होने की अनुभूति पैदा करने और आय के कुछ साधनों में उन्हें लगाए जाने की है।

किन्तु वृद्धों की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की दृष्टि में, केवल सरकार और गैर सरकारी संगठन तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक कि समाज में यह जागरुकता न आये कि वृद्धों की समस्याओं के हल के लिए सामुदायिक कार्यवाई आवश्यक है। सामाजिक नेताओं तथा उद्योगपतियों को सहायता का हाथ आगे बढ़ा कर सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ वृद्धों को सम्मान एवं सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करना चाहिए।

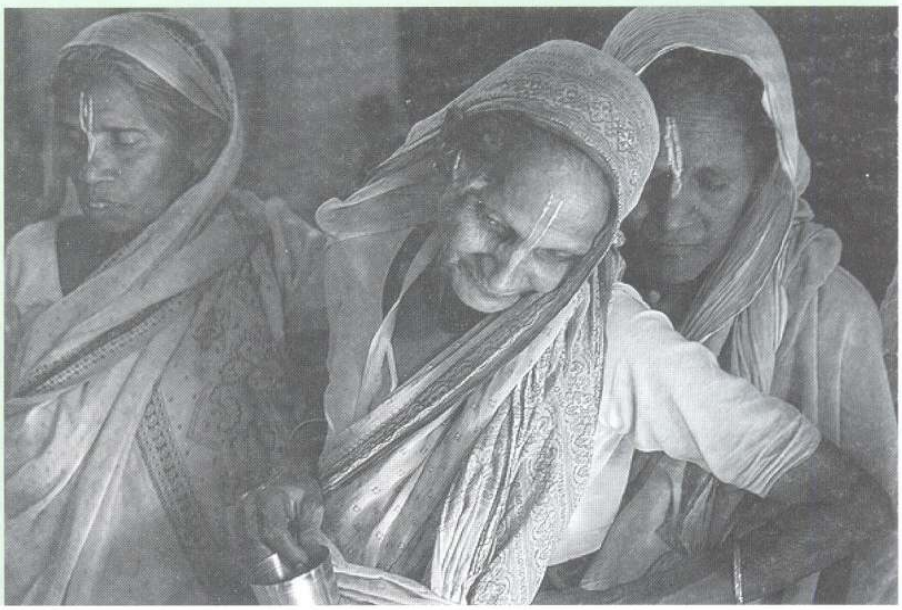

यूनिफेम के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक

सामुदायिक प्रयत्न के माध्यम से महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार को रोकने के भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए यूनिफेम और राष्ट्रीय महिला आयोग के परस्पर सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोग के कार्यालय में एक बैठक की गयी।

यूनिफेम की क्षेत्रीय कार्यक्रम निदेशक सुश्री एनी स्टेनहेमर ने सूचना दी कि यूरोपीय आयोग ने भारत की यह अवधारणा स्वीकार कर ली है और कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ हुए सहयोग समझौते के अनुसरण में इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्यवाई प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसमें, अध्ययन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा तैयार करना तथा सेमिनारों के माध्यम से सुझाव प्राप्त करना और जागरुकता फैलाना भी शामिल है। उन्होंने मानव व्यापार के मुद्दे पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यूनिफेम के साथ सहयोग को सराहा।

यूनिफेम की क्षेत्रीय टेक्नीकल परामर्शदाता सुश्री मधुबाला नाथ ने इस अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया और सूचना दी कि अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए सामुदायिक कार्यवाई करने की परियोजना छः राज्यों में प्रारंभ की जायेगी। इन राज्यों में, प्रत्येक में एक जिला स्तरीय केन्द्र स्थापित किया जायेगा जहां अनैतिक व्यापार से पार पाई तथा इस व्यापार में फंस सकने की संभावना वाली महिलाओं एवं लड़कियों को कौशल विकास की कारगर शिक्षा प्रदान की जायेगी।

डॉ. गिरिजा व्यास ने यूनिफेम द्वारा प्रस्तुत मत से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि ब्यौरा तैयार करने का कार्य जुलाई के अंत तक पूरा किया जा सकता है ताकि परियोजना कार्यवाई अविलम्ब प्रारंभ की जा सके।

सुश्री एनी स्टेनहेमर, सुश्री मधुबाला नाथ और डॉ. गिरिजा व्यास चर्चा करते हुए

विचार-विमर्श के पश्चात, निम्नलिखित बिन्दुओं पर सर्वसम्मति बनीः

1. राष्ट्रीय महिला आयोग और यूनिफेम दान देने वाले देशों की एक बैठक बुलाएं जिसमें उन्हें कार्यवाई योजना तथा सहयोग प्रस्तावों से अवगत कराया जाये। राष्ट्रीय महिला आयोग आगा खान फाउंडेशन जैसे अन्य संभाव्य दानियों को भी जुटाने का प्रयत्न करेगा।
2. सेमिनार के लिए सितम्बर मास के द्वितीय सप्ताह की कोई तिथि निर्धारित की जा सकती है क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्रों का ब्यौरा तैयार करने में कुछ समय लगेगा और उस पर चर्चा किए जाने से पूर्व उस पर दानी देशों की सहमति लेनी होगी।
3. अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि बजट के किस मद के अंतर्गत उक्त व्यय दिखाया जाये और इस पर विचार किया जा सकता है।
4. प्रगति का समय-समय पर लेखा-जोखा लेने के लिए एक कार्य-दल गठित किया जा सकता है।

साहस का प्रतीक

सुबह तड़के रोहतक के एक गांव में गोलियों की आवाज सुन कर किशोरावस्था की पूनम और सुमन अपने कमरे से दौड़ कर बाहर आयीं और देखा कि उनके बाबा खून से लथपथ पड़े हैं तथा उनके चाचा घायल हैं। चाचा संभवतः हत्या के मामले के चश्मदीद थे।

अपने ऊपर आ सकने वाले खतरे की परवाह न करते हुए, उन्होंने दोनों हमलावरों का पीछा किया। उनमें से एक हमलावर तो किसी तरह निकल भागा, किन्तु दूसरे को इन लड़कियों ने उनकी मोटर साइकिल से खींच लिया और मार डाला।

हरियाणा पुलिस ने दोनों लड़कियों को बहादुरी पुरस्कार देने का निर्णय किया है। उनके साहसी कृत्य से गांव वालों का आत्मविश्वास बढ़ा है।

शिकायत कक्ष से

- एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत की कि उसके पति और सास-ससुर ने दहेज के लिए उसे शारीरिक और मानसिक यातना दी है और धमकाया है कि यदि वह अच्छा दहेज नहीं लाई तो पति उसके साथ सारे संबंध तोड़ देगा और दूसरा विवाह कर लेगा। उसने आयोग से गुहार की कि उसका 'स्त्रीधन' उसे वापस दिलाया जाये और अपराधियों को सज़ा दी जाये तथा से सुरक्षा दिलाई जाये।

  आयोग ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया। हरिद्वार के एस.एस.पी. को एक नोटिस भी जारी किया गया कि दूसरे पक्ष की उपस्थिति आश्वस्त कराई जाये। आयोग में चार पेशियों के बाद दोनों पक्षों में यह समझौता हो गया कि दूल्हा पक्ष उस महिला का 'स्त्रीधन' वापस कर देगा और उसे दो लाख रुपयों का मुआवजा देगा। दोनों पक्ष इस बात पर भी राजी हो गये कि अधिकारियों के समक्ष लंबित उनके मामले भी वापस ले लिए जायेंगे।

- उत्तर प्रदेश की एक स्त्री ने आयोग से शिकायत की कि उसकी लड़की को उसके पति तथा ससुराली दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़ित कर रहे हैं और शारीरिक एवं मानसिक यातना दे रहे हैं। उसने यह भी कहा कि वे लोग उसे अपनी बेटी से नहीं मिलने देते और पुलिस इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही। उसने आयोग से कहा कि उसे अपनी बेटी से मिलने दिया जाये।

  आयोग ने बिजनौर, उत्तर प्रदेश, के एस.पी. को एक नोटिस भेजा कि वह इस बारे में की गयी कार्यवाही पर एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हो। तत्पश्चात, आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पति तथा सास-ससुर के विरुद्ध एफ. आई.आर. दर्ज की।

- एक महिला ने आयोग से शिकायत की कि उसकी बेटी के ससुरालियों की दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पति, सास तथा ससुर को तो गिरफ्तार कर लिया किन्तु पति के भाई को नहीं पकड़ा क्योंकि उसका नाम एफ.आई. आर. से निकाल दिया गया था।

  आयोग ने यह मामला अपने हाथ में लिया और संबंधित पुलिस अधिकारियों को सुनवाई के लिए आयोग में बुलाया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद पति के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

कुछ अलग से

यह शाहजहांपुर के एक दूरस्थ गांव की महिला की सफलता की कहानी है जिसमें उस महिला ने सूचना अधिनियम का सहारा लेकर सरकारी सौर पेनल को, जिसे एक ग्राम प्रधान ने हड़प कर अपने यहां लगवा लिया था, एक दलित बस्ती में स्थापित करा दिया।

सविता नाम की इस महिला ने, जिसके पास गरीबी की रेखा से नीचे का कार्ड है, मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में सूचना अधिनियम के अंतर्गत एक अर्जी डाल कर यह सूचना मांगी कि उसकी ग्राम पंचायत को कितना धन किन-किन मदों के लिए आवंटित किया गया है। अर्जी में एक और यह प्रश्न भी पूछा गया कि ग्राम पंचायतों के ऐसे लोगों के क्या नाम हैं जिनके दरवाजे पर सरकारी सौर पैनल लगाए गये हैं और क्या वे काम कर रहे हैं या नहीं।

उसकी अर्जी जिला पंचायतराज अधिकारी को भेज दी गयी जिसने इस दलित महिला के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया।

तत्पश्चात, सविता ने एक याचिका राज्य सूचना आयोग को भेजी। आयोग में पहली सुनवाई के बाद जिला पंचायत परिषद् ने पंचायत के लेखाओं की फोटो प्रतिलिपि सविता को भेज दी, किन्तु गांव में सरकारी सौर पैनलों की स्थापना के बारे में चुप्पी साध ली।

राज्य सूचना आयोग ने जब वित्तीय दण्ड दिए जाने की चेतावनी दी, तो जिला पंचायतराज परिषद् ने जाहिर किया कि सौर पैनल ग्राम प्रधान के दरवाजे पर लगाया गया था और एक लम्बे अरसे से खराब पड़ा है। सूचना आयोग द्वारा कोई आदेश दिए जाने से पूर्व, जिला पंचायतराज परिषद् ने राज्य सूचना आयोग और सविता को एक पत्र लिख कर सूचित किया कि सौर पैनल को ग्राम प्रधान के दरवाजे से हटाकर वहीं की पंचायत की दलित बस्ती में स्थापित कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण निर्णय

● उच्च न्यायालय ने हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्पत्ति अधिकारों संबंधी मुद्दे का निबटारा किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी महिला तथा उसके बच्चों को एक हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के अंतरण अथवा विक्रय को रोकने की मांग करने का उस दशा में भी अधिकार है जब कि उनके अलग हुए पति/पिता और सास-ससुर/दादा-दादी जीवित हों।

न्यायालय ने कहा "संयुक्त उत्तराधिकार वाली सम्पत्ति में बच्चों को जन्म से ही एक स्वतंत्र स्वामित्व अधिकार मिल जाता है और ऐसे स्वामित्व के फलस्वरूप, सम्पत्ति का आधिपत्य और भोग सबके लिए समान है।" इस प्रकार, पुश्तैनी हिन्दू संयुक्त परिवार पर हिन्दू पत्नी तथा उसके बच्चों के अधिकारों पर लम्बे अरसे से चल रहा विवाद समाप्त हो गया।

● अवैध बच्चे पुश्तैनी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सह-रिहाइश से उत्पन्न बच्चे पुश्तैनी सम्पत्ति के हकदार नहीं हो सकते, केवल माता-पिता की स्वयं अर्जित सम्पत्ति के हकदार हो सकते हैं।

अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी अमान्य या अमान्यनीय विवाह से उत्पन्न संतान पुश्तैनी सम्पत्ति में दावा करने की हकदार नहीं है, किन्तु यदि माता-पिता की कोई स्वयं अर्जित सम्पत्ति हो तो उसमें यह संतान अपना भाग मांग सकती है।

● घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मां अपने गोद लिए बेटे से पैसा ले सकती है

घरेलू हिंसा अधिनियम को एक नया आयाम देते हुए, दिल्ली के एक न्यायालय ने एक 70 वर्षीय निराश्रित वृद्धा को गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया। वृद्धा ने न्यायालय में दी गयी अपनी याचिका में कहा था कि उसका गोद लिया बेटा उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और न्याय की मांग की थी।

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ने कहा "अपने गुजारे भत्ते के लिए मां न केवल अपने गोद लिए बच्चे से अपितु अपनी विवाहित लड़की से भी गुजारा मांगने की हकदार है।"

न्यायाधीश ने कहा "घरेलू संबंधियों के अंतर्गत बहनें, विधवाएं, माताएं, पुत्रियां और अकेली महिलाएं भी आती हैं।"

मुकदमा न्यायालय द्वारा दिए गये इस आदेश को खारित करते हुए कि गोद लिया बेटा उसे 250 रुपये प्रति मास दे, न्यायालय ने तुरंत आदेश दिया कि अपनी मां के मकान का एक भाग अपने पास रखने की एवज़ में वह लड़का उस वृद्धा मां को 2,500 रुपये प्रति मास दे।

इस बात की दृष्टि में कि महिला एक वरिष्ठ नागरिक है, न्यायालय ने उस क्षेत्र के थानेदार को आदेश दिया कि उसे वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षा देने की योजना में शामिल किया जाये।

युगल की हत्या पर आयोग ने रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वरूप नगर, दिल्ली में एक लड़की तथा उसके बॉय फ्रैंड को यंत्रणा दिए जाने, कोड़े मारे जाने और बिजली के झटके लगाए जाने के कथित आरोप का स्वतः संज्ञान लेते हुए, इस घटना की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस से मांगी है।

आयोग ने पुलिस से पूछा है कि इस पर क्या कार्यवाही की गयी है। पुलिस ने लड़की के पिता, चाचा, माता तथा दो अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है।

आयोग ने मेरठ में बलात्कार की गयी एक लड़की को पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की है और कहा है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से लड़की की शिक्षा का प्रबंध करने को कहेगा।

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग ने पुलिस से इस मामले की दोबारा जांच-पड़ताल करने को कहा है क्योंकि लड़की और उसकी मां का आरोप था कि संबंधित अधिकारियों द्वारा तीनों आरोपियों को छोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि इस 13-वर्षीय लड़की का तीन व्यक्तियों ने बलात्कार किया था जिनमें से एक उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का रिश्तेदार है।

घरेलू उत्पीड़न की एक घटना पर भी आयोग ने रिपोर्ट मांगी है जिसमें आरोप है कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ग्रुप सेक्स करने की जबरदस्ती की गयी।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।